

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा !.A.S.

प्रकरण संख्या - 12/2019 (अपील)

हेमराज पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर, निवासी-मण्डा तहसील
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

---रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी
आदेश दिनांक 20.09.2018 मि0नं0
03/2018 तहसीलदार रामगंजमण्डी
कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक:- 16.10.2019


1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने ग्राम मण्डा की भूमि खसरा नम्बर 197 की 0.16 हे0 में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 03/2018 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 100/- रुपये का शांति व तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 20.09.2018 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 16.01.2019 को पेश की गई है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। हल्का पटवारी ने आज तक अपीलान्ट से कब्जे के बारे में कोई पूछताछ नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 197 रकबा 0.16 हे0 चारागाह भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है। अदालत मातहत

Om

ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कतई गौर नहीं किया है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है और खसरा नम्बर 197 रकबा 0.16 हे0 का मौके पर कोई वजूद नहीं है । केवल मात्र अभिलेखों की त्रुटि के कारण प्रार्थी अपीलान्त को दण्डित किया गया है । उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अदालत मातहत ने उक्त आक्षेपित निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अपील पेश करने का वाद कारण दिनांक 04.1.2019 को उत्पन्न हुआ जब पुलिस थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा का सिपाही अपीलान्त को गिरफ्तार करने आ गया तब अपीलान्त ने तहसील रामगंजमण्डी में जानकारी ली तब अपीलान्त को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.2018 की जानकारी हुई उसी दिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय में अपनी जमानत करवाकर अपील पेश करने हेतु मोहलत ली गई और तुरन्त नकल निर्णय लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल मिलने पर रूपयों पैसों का इन्तजाम होने पर अविलम्ब यह अपील लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। परोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है, मौके पर अपीलान्त का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । हल्का पटवारी ने आज तक अपीलान्त से कब्जे के बारे में कोई पूछताछ नहीं की है । अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 197 रकबा 0.16 हे0 चारागाह भूमि पर अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है । अपीलान्त ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्त की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । तथा भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करने बाबत कथन किया । इसलिए अपील स्वीकार की जावें ।
5. परोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है ।
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.2018 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 16.01 2019 को पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 20.09.2018 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 04.01.2019 को होना बताते हुए विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्त के शपथ पत्र पेश किया गया है। इसलिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट

- का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह क्षम्य है।
7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि हेमराज आत्मज रामचन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम मण्डा की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 0.16 हैक्टेयर में अनाधिकृत कब्जा काशत किया है। इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलान्त को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 100/- रुपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 03 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।
 8. अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
 9. अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।
 10. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओम कसेरा)

जिला कलक्टर, कोटा